P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.- V, ISSUE-I,August-2016
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

मुस्लिम परिवारों में परिवर्तित दृष्टिकोण का अध्ययन

गीता कुमारी
शोध छात्रा
समाज शास्त्र विभाग,
पी0सी0 बागला कॉलेज,
हाथरस, उ0प्र0,

सारांश

मुस्लिम परिवारों में मुस्लिम वृद्धों, महिलाओं, पुरूषों, लड़के, लड़कियों की स्थिति आज भी आज से सदी पूर्व की स्थिति से अच्छी नहीं कही जा सकती है। परन्तु आज के बदलते परिवेश में मुस्लिम परिवारों में भी परिवर्तन हो रहे हैं और अब धीरे–धीरे उनमें भी जागृति बढ़ रही है। स्कूलों व कॉलेजों में पहले से अधिक मुस्लिम स्त्रियाँ अर्थात् बालक एवं बालिकाएँ अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं। उनकी शिक्षा का ग्राफ निरन्तर बढ़ रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र जैसे बी0ए0, एम0बी0ए0, बी0टेक0, एम0टेक0, बी0एस–सी0, एम0एस–सी0 तथा शोध आदि में भी अध्ययन करते देखा जा सकता है।

मुख्य शब्दः मुस्लिम परिवार, विवाह पद्धति सम्बन्धी अधिकार, सामाजिक संरचना, सैद्धान्तिक दृष्टिकोण, सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा के दृष्टिकोण में परिवर्तन, स्वतन्त्रता के दृष्टिकोण में परिवर्तन, समानता एवं सम्मान के दृष्टिकोण में परिवर्तन, सांस्कृतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, अधिकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन।

प्रस्तावना

मुस्लिम परिवार की स्थापना समाज द्वारा एक मान्य विवाह पद्धति के द्वारा जिसे 'निकाह' कहा जाता है, परिवार सम्बन्धी अधिकार पुरूषों के हाथ में ही होते है अर्थात् परिवार के मामले में पुरूष ही सत्ताधारी होता है। अतः बच्चों का उपनाम पिता के वंश के नाम पर ही हुआ करता है। जिन पति–पत्नी के बच्चे नहीं होते हैं वे प्रायः किसी नाते रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले लेते हैं और इस प्रकार अपने परिवार की निरन्तरता बनाए रखते हैं।

मुस्लिम परिवार की स्थिति केवल धन पर नहीं अपितु सामाजिक संरचना में उस परिवार के वास्तविक स्थान के अनुसार निर्धारित होती है। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से सब मुसलमान व उनके परिवार बराबर हैं, परन्तु व्यवहार में उनमें भी ऊँच–नींच के आधार पर एक सामाजिक संस्तरण पाया जाता है। आजकल विशेष रूप से शहरों में मुसलमानों के एकाकी परिवारों को प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है और परिवार के सदस्यों की संख्या कम होती जा रही है फिर भी धार्मिक दृष्टि से ऐसे परिवारों को अधिक प्रशंसनीय नहीं माना जाता है।

साहित्य पुनर्विलोकन

अहमद (1953) ने 'मैरिज एमंग मुस्लिम' विषय पर कार्य किया। कबीर (1956) ने 'आवर हेरीटेज' विषय पर कार्य किया। घुरिये (1957) ने 'कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया' विषय का वर्णन किया। शर्मा (1962) ने 'भारतीय सामाजिक और संस्थाऐं'' नामक पुस्तक में 'हिन्दू सामाजिक संगठन, मुस्लिम सामाजिक व्यवस्था और संस्थाओं का अध्ययन किया है। हुसैन (1962) ने 'इण्डियन कल्चर' का वर्णन किया। गुप्ता (2002) ने 'पारिवारिक समाजशास्त्र' विषय पर अध्ययन किया।

तबस्सुम जहाँ (2015) ने बताया कि इस्लाम में हर जगह पर हर प्रकार से महिला–पुरुष समानता को दर्शाता गया है। भारत में मुगल काल से पहले और मुगल काल के प्रारम्भ होने पर स्त्रियों की स्थिति बदतर होती चली गई थी। कुरआन में अल्लाह फरमाता है कि ''तुम बनीनो इंसान में से बाज–बाज से ही हो और तस्वे जुद में एक–दूसरे में कोई फर्क नहीं है।'' इस प्रकार मुस्लिम धर्म में हर जगह हर प्रकार से पुरुष और महिला की समानता को दर्शाता है। इस्लाम दुनिया में वह पहला धर्म है, जिसनें औरत को सबसे ज्यादा अधिकार दिए हैं। इन अधिकारों के द्वारा औरत को तरक्की, खुशहाली, इज्जत, सभी स्थान प्राप्त होते है। सबसे पहले कुरआन ने यह साफ कर दिया है कि स्थान और अधिकार में पुरुष और स्त्री दोनों बराबर हैं। कुरआन में स्पष्ट

निर्देश है कि महिला आवश्यकतानुसार घर से बाहर निकल सकती है, लेकिन उसको धार्मिक प्रतिबन्धों के अनुसार कार्य करना होगा।

विभिन्न लेखकों ने मुस्लिम समुदायों की प्रथाओं तथा मूल्यों में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों का उल्लेख किया है। एक समाजशास्त्री ने बताया है कि सुन्नी सूरती बोहरा स्त्रियों के द्वारा विवाह के समय लोकगीतों के गाये जाने की प्रथा समाप्त हो रही है इस अवसर पर लड़की के घर कब्बाली के कार्यक्रम का स्थान धार्मिक प्रवचन लेते जा रहे हैं। यद्यपि उच्च प्रस्थिति वाले मुसलमानों में बुरका धीरे–धीरे कुछ नकारात्मक अर्थ ग्रहण करता जा रहा है लेकिन कम प्रतिष्ठित सामाजिक–आर्थिक समूहों में इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। पूर्वकाल में पर्दा–प्रथा के समृद्धशाली वर्गों से सम्बन्धित होने के कारण, निम्न तथा मध्यम प्रस्थिति वाले मुसलमानों के द्वारा इसे अपनाने से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है।

मुस्लिम परिवारों में वृद्धों, महिलाओं, पुरूषों, लड़के एवं लड़कियों की स्थिति हिन्दू वृद्धों, महिलाओं, पुरूषों, लड़के एवं लड़कियों से कई क्षेत्रों में अच्छी है। परन्तु व्यवहार में उनकी स्थिति भी हिन्दू, वृद्धों, महिलाओं, पुरूषों, लड़के एवं लड़कियों से अच्छी नहीं कही जा सकती है। मुस्लिम परिवारों में मुस्लिम वृद्धों, महिलाओं, पुरूषों, लड़के, लड़कियों की स्थिति आज भी आज से एक सदी पूर्व की स्थिति से अच्छी नहीं कही जा सकती है। अब शोधकर्त्री ने अपने शोध में विभिन्न दृष्टिकोणों से मुस्लिम समाज में परिवारों के परिवर्तित दृष्टि से परिवार के विभिन्न वृद्धों, महिलाओं, पुरूषों, लड़के एवं लड़कियों का अध्ययन किया तो उसने पाया कि परिवार के परिवर्तित दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं –

शिक्षा के दृष्टिकोण से परिवर्तन

मुसलमानों में मुल्लाजी बच्चे से ''बिसमिल्ला'' का उच्चारण करते हैं और पाटी पर लिखना आरम्भ करवाते हैं। मुस्लिम समाज में मुस्लिम परिवार के वृद्ध, महिलाओं, पुरूषों, लड़के एवं लड़कियाँ शिक्षा की दृष्टि से अभी तक इस क्षेत्र में पीछे हैं। उनमें प्रचलित पर्दा प्रथा के कारण, अपनी अनुदार प्रवृत्ति एवं कट्टर विचारों के कारण आज भी महिलाओं को शिक्षा दिलाना अच्छा नहीं समझा जाता है, परन्तु आज के बदलते परिवेश में मुस्लिम परिवारों में भी परिवर्तन हो रहे हैं और अब धीरे–धीरे उनमें भी जागृति बढ़ रही है। स्कूलों व कॉलेजों में पहले से अधिक मुस्लिम स्त्रियाँ अर्थात् बालक एवं बालिकाएँ अध्ययन कर रहे हैं, उनकी शिक्षा का ग्राफ निरन्तर बढ़ रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र जैसे बी0ए0, एम0ए0, बी.टेक., एम0टेक0, बी0एस–सी0, एम0एस–सी0 तथा शोध आदि में भी अध्ययन करते देखा जा सकता है।

स्वतन्त्रता के दृष्टिकोण से परिवर्तन

आज भी मुस्लिम महिलाएँ अभी पुरूष की अधीनता से अपने आपको मुक्त नहीं कर पाई हैं। स्त्रियों को आज भी जनानखाने में पर्दे में ही रहना पड़ता है। स्वतन्त्रता का सूर्य अभी उनके लिए उदय नहीं हो पाया है, परन्तु आधुनिक समय में जिन मुस्लिम परिवारों ने शिक्षा प्राप्त की है, उनमें पर्दा प्रथा कम हो रही है और महिलाएँ घर से बाहर जाकर नौकरी और अन्य कार्य भी कर रही हैं, जिसके फलस्वरूप पुरूष की अधीनता से मुक्त हुई हैं और परिवार में स्वतन्त्रता का जीवन व्यतीत कर रही हैं।

राजा बाबू (1990) ने मुस्लिम महिलाओं के परिवर्तित दृष्टिकोणों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि आज मुस्लिम नवयुवतियों का दृष्टिकोण बदलता जा रहा है। वे अपने वैयक्तिक विकास एवं आत्मसंतुष्टि के लिए घर से बाहर निकल कर काम करना चाहती हैं।

जकिया–ए–सिद्दीकी अनवर जहाँ जावरी (1993) ने ''मुस्लिम वुमैन प्रोब्लम्स एवं प्रोस्पेक्ट्स'' में पाया कि बढ़ते शिक्षा स्तर एवं आर्थिक आवश्यकताओं के कारण मुस्लिम समाज में महिलाओं का बाहर काम पर जाना अपमानजनक समझा जाता था, परन्तु वर्तमान परिवेश में इस दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है।

समानता एवं सम्मान के दृष्टिकोण से परिवर्तन

मुस्लिम परिवारों में आज भी महिलाओं का जीवन सम्मानपूर्ण नहीं है। पुरूष वर्ग के अत्याचार कम नहीं हैं। स्त्री का कार्य पुरूष ही काम–वासना पूर्ण करना एवं बच्चे पैदा कर उनका पालन–पोषण मात्र समझा जाता है। पर्दे में रहकर जनानखाने की व्यवस्था ही उसका मुख्य धर्म माना जाता है, परन्तु आज के बदलते परिवेश में पढ़े–लिखे मुस्लिम परिवारों में महिलाओं को समानता एवं सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है।

सांस्कृतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन

मुसलमान अपने रहन–सहन, रीति–रिवाज, प्रथाओं, मान्यताओं, परम्पराओं व मूल्यों को बनाये रखने के लिए विशेष ध्यान रखते हैं। मुस्लिम परिवार की स्त्रियाँ, बच्चे व बड़े–बूढ़े इस सांस्कृतिक तत्वों में बच्चों को प्रारम्भ से ही दीक्षित करते रहते हैं। परन्तु आज के बदलते परिवेश में मुसलमान अपने रीति–रिवाज को भी एक दम पृथक रखने को जागरूक रहते हैं।

अधिकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन

मुस्लिम परिवारों के समाज में पुरूष की स्थिति स्त्री की स्थिति से श्रेष्ठ या ऊँची होती है, पारिवारिक मामलों में लड़कों की राय को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं पर पुरूषों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रतिबन्ध रहते हैं, महिलाओं व लड़कियों को घर की चारदीवारी में और पर्दे में रहना होता है। स्वतन्त्र भारत में शिक्षा के प्रभाव से महिलाएँ भी सार्वजनिक अधिकार के जीवन में धीरे–धीरे भाग लेने लगी हैं और साथ ही साथ सम्पत्ति के अधिकार प्राप्त करने लगी हैं। आज के बदलते परिवेश में संविधान के अन्तर्गत महिलाओं को अधिकार और सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।

मुस्लिम समाज पर पश्चिमी संस्कृति व सभ्यता का भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। इन्होंने हमेशा अपने आपको अंग्रेजी की संस्कृति व सभ्यता से दूर रखने का प्रयत्न किया क्योंकि अंग्रेजी ने इनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी थी। अतः उस संस्कृति के प्रभाव के अभाव में भी मुस्लिम महिलाएँ पिछड़ी हुई रहीं।

मुस्लिम स्त्रियों पर धार्मिक रूप से भी कठोर नियन्त्रण रहे हैं। मुस्लिम स्त्रियाँ अभी तक विभिन्न बन्धनों

के घेरे से अपने को स्वतन्त्र करने में असफल रही हैं। बहुत कम मुस्लिम महिलाएँ अपने घरों के बाहर काम करती हुई पायी जाती हैं। अवश्य ही फिल्म क्षेत्र में मुस्लिम महिलाओं की संख्या अधिक है परन्तु अन्य व्यवसायों में नहीं है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य वर्तमान समय में मुस्लिम परिवारों में परिवर्तित दृष्टिकोण की स्थिति का पता लगाना है। इसके अन्तर्गत परिवार का स्वरूप, जातिगत नियमों के पालन की स्वीकृति, पुत्र जन्म की अनिवार्यता, परिवार की स्थिति तथा नौकरी करने, पर्दा प्रथा, लड़कियों का घर से बाहर के क्रियाकलापों में भाग लेने के माध्यम से मुस्लिम परिवारों की परिवर्तित स्थिति को ज्ञात करना है।

अध्ययन क्षेत्र एवं पद्धति

प्रस्तत अध्ययन उत्तर प्रदेश के शहर फिरोजाबाद का है। इसमें सबसे अधिक काँच की चूडियाँ, सजावट में काँच की वस्तुओं, वैज्ञानिक उपकरण, बल्ब आदि बनाये जाते हैं। फिरोजाबाद में मुख्य रूप से चूडियों का व्यवसाय होता है। घरों के अन्दर महिलाएँ चूडियों पर पॉलिश तथा हिल लगाकर धनोपार्जन करके अपने परिवार का पालन–पोषण करती हैं। फिरोजाबाद शहर से 50 मुस्लिम सदस्यों का चुनाव किया गया। वे शिक्षित–अशिक्षित, युवा–वृद्ध हैं। ऐसी स्थति में उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन की उपलब्धियाँ

वर्तमान में मुस्लिम परिवारों के परिवर्तित दृष्टिकोण की स्थिति को जानने के लिए सर्वप्रथम उनके परिवार के स्वरूप को ज्ञात किया गया है।

सारणी संख्या–1
सूचनादाताओं के परिवार का स्वरूप

परिवार का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
एकल	34	68
संयुक्त	16	32
योग	50	100

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से पता चलता है कि 68 प्रतिशत सूचनादाता एकल परिवार के हैं तथा 32 प्रतिशत सूचनादाता संयुक्त परिवार के हैं। इससे स्पष्ट हेाता है कि अधिकांश मुस्लिम परिवार, परिवार के एकल स्वरूप के बारे में अपनी सोच रखते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वर्तमान समय में मुस्लिम सदस्य परिवार के संयुक्त रूप को छोड़कर एकल स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं।

सारणी संख्या – 2
परिवार की स्थिति

परिवार की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
लघु	10	20
सीमित	24	48
असीमित	16	32
योग	50	100

उपर्युक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 20 प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवार की स्थिति लघु, 48 प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवार की स्थिति सीमित तथा 32 प्रतिशत सूचनादाताओं का परिवार असीमित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश सूचनादाता 48 प्रतिशत ऐसे हैं जिनका परिवार सीमित है जबकि वर्तमान समय में मुस्लिम परिवारों के सदस्य असीमित परिवार को छोड़कर सीमित या लघु परिवार के परिवर्तनों की ओर बढ़ रहे हैं।

सारणी संख्या– 3
पारिवारिक निर्णयों के सम्बंध में विचार

परिवार की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1. बुजुर्गों का निर्णय मान्य	05	10
2. पति का निर्णय सर्वोपरि	04	08
3. निर्णय पहले पत्नी से विचार विमर्श आवश्यक	39	78
4. कोई उत्तर नहीं	02	04
योग	50	100

एक समय ऐसा था कि पारिवारिक निर्णय के सम्बंध में बुजुर्गों या पति का निर्णय सभी के द्वारा मान्य था अर्थात् पत्नी से विचार विमर्श करना आवश्यक नहीं था, किन्तु अब अधिकांश यानि 78 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि पारिवारिक निर्णय से पहले पत्नी से विचार विमर्श करना आवश्यक है, परन्तु सबसे कम 4 प्रतिशत सूचनादाता ऐसे हैं जो पारिवारिक निर्णय में कोई उत्तर नहीं देते हैं।

सारिणी–4
शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	45	90
नहीं	05	10
योग	50	100

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक (90 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने शिक्षित होने के पक्ष में प्रतिक्रिया व्यक्त की है, परन्तु सबसे कम 10 प्रतिशत सूचनादाताओं ने नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अतः यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश सूचनादाता स्वीकार करते हैं कि अधिक से अधिक व्यक्ति शिक्षित हों, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही वे अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को समझेंगे और अपने परिवार के विकास में परिवर्तन कर सकेंगे।

सारिणी–5
विवाह के निर्णय में प्राथमिकता

विवाह के निर्णय में विचार	आवृत्ति	प्रतिशत
1. माता–पिता द्वारा तय किया हुआ विवाह	06	12
2. लड़का–लड़की की अपनी पसन्द से	10	20
3. माता–पिता तथा लड़का –लड़की की राय से	34	68
योग	50	100

उपरोक्त सारणी से विदित होता है कि 12 प्रतिशत विवाह माता–पिता द्वारा तय किये जाते हैं, 20 प्रतिशत लड़का–लड़की अपनी पसन्द से विवाह में निर्णय

लेते हैं तथा 68 प्रतिशत माता–पिता तथा लड़का–लड़की की राय से विवाह में निर्णय लेते हैं।

एक समय ऐसा था जब लड़का–लड़की के विवाह में माता–पिता का निर्णय सभी के द्वारा मान्य था, अर्थात् लड़का–लड़की की राय लेना आवश्यक नहीं था, किन्तु अब अधिकांश 68 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि विवाह माता–पिता द्वारा ही व्यवस्थित हो लेकिन विवाह से पूर्व लड़का–लड़की का अपना जीवन साथी चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता हो, उन पर किसी प्रकार का दबाव न डाला जाये। माता–पिता द्वारा तय किए हुए विवाह को मात्र 12 प्रतिशत सूचनादाता ही स्वीकार करते हैं।

सारणी संख्या–6
नौकरी करने के प्रति सूचनादाताओं का दृष्टिकोण

नौकरी करने के प्रति दृष्टिकोण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	32	64
नहीं	14	28
कोई उत्तर नहीं	04	08
योग	50	100

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अधिकांश 64 प्रतिशत सूचनादाता नौकरी करने के पक्ष में हैं जो सामाजिक परिवर्तन की स्थिति को दर्शाते हैं, 28 प्रतिशत सूचनादाता नौकरी करने के पक्ष में नहीं है तथा 8 प्रतिशत सूचनादाताओं ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जिससे ज्ञात होता है कि वर्तमान समय में मुस्लिम परिवारों के सदस्य नौकरी करने की ओर बढ़ रहे है।

सारणी संख्या–7
सूचनादाताओं के परिवार में पर्दा प्रथा

परिवार में पर्दा प्रथा	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	36	72
नहीं	14	28
योग	50	100

उपर्युक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 72 प्रतिशत सूचनादाता पर्दा करने के पक्ष में हैं तथा 28 प्रतिशत सूचनादाता पर्दा प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। यह वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। इससे स्पष्ट होता है कि मुस्लिम परिवारों में पर्दा न कराने की सोच में बदलाव कम हो रहा है, जो सामाजिक परिवर्तन की स्थिति को दर्शाते हैं।

सारणी संख्या–8
लड़कियों का घर से बाहर के क्रियाकलापों में भाग लेना

लड़कियों का घर से बाहर के क्रियाकलापों में भाग	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	32	64
नहीं	15	30
कोई उत्तर नहीं	03	06
योग	50	100

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अधिकांश 64 प्रतिशत सूचनादाता लड़कियों का घर से बाहर के क्रियाकलापों में भाग लेने को स्वीकार करते हैं, 30 प्रतिशत सूचनादाताओं ने स्वीकार नहीं किया तथा 6 प्रतिशत सूचनादाताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार ऐसा कहा जा सकता है कि मुस्लिम समाज में लड़कियों की स्थिति में परिवर्तन आया है।

निष्कर्ष

पूर्ण विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि अध्ययन के सूचनादाताओं की अधिकांश संख्या (68 प्रतिशत) एकल परिवार में रहना पसन्द करती हैं, परिवार की स्थिति में अधिकांश संख्या (48 प्रतिशत) सीमित सूचनादाताओं की है, पारिवारिक निर्णय के सम्बन्ध में अधिकांश संख्या (78 प्रतिशत) ऐसे सूचनादाताओं की है जो निर्णय करने से पहले पत्नी से विचार विमर्श करना आवश्यक समझते हैं, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में अधिकांश सूचनादाता (90 प्रतिशत) ऐसे हैं जो शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं।

विवाह के निर्णय में अधिकांश सूचनादाताओं (68 प्रतिशत) का विचार है कि लड़का–लड़की की राय से माता–पिता द्वारा विवाह का निर्णय लिया जाना चाहिए, नौकरी करने के प्रति सूचनादाताओं की अधिकांश संख्या (64 प्रतिशत) ऐसी हैं जो नौकरी करने के पक्ष में हैं, परिवार में पर्दा कराने के पक्ष में अधिकांश सूचनादाता (72 प्रतिशत) हैं तथा लड़कियों का घर से बाहर के क्रियाकलापों में भाग लेने के अधिकांश सूचनादाता (64 प्रतिशत) ऐसे हैं जो उन्हें स्वीकृति प्रदान करते हैं निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम परिवारों में जो उपर्युक्त परिवर्तन देखने को मिले हैं, सभी प्रगतिशीलता की दिशा में अभिमुखीकृत हैं।

सुझाव

1. एकल तथा सीमित परिवार होने चाहिए जिसके फलस्वरूप बच्चों का पालन–पोषण तथा शिक्षा–दीक्षा भलीभाँति हो सके।
2. सर्वप्रथम मदरसा शिक्षा को युवाओं की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया को और अधिक गति प्रदान करके मुस्लिम नवयुवकों में आधुनिक शिक्षा के प्रति चेतना जागृत करना आवश्यक है जिससे वे अपने व्यक्तित्व के प्रति विकास करके अन्य समुदायों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें।
3. मुस्लिम महिलाओं को भी आधुनिक शिक्षा से जोड़कर उन्हें साहसी और निर्णय लेने वाली महिलाओं में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इससे न केवल पर्दा प्रथा को समाप्त करने में सहायता मिलेगी बल्कि महिलाओं में आर्थिक एवं राजनीतिक चेतना का भाव भी जागृत होगा।
4. मुस्लिम महिलाओं के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्यों को भी घर के कार्यों में हाथ बँटाना चाहिए जिससे महिलाओं को कम काम करना पड़ेगा और वे अन्य कार्यों में भी भाग ले सकेंगीं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Ahmed-Marriage among Muslims-Basic Books, New York, 1953.
2. Kabir-Our Heritage- Hind Kitab Lipi, Bombay-1956.

3. Ghurye, G.S.- Caste and Class in India-1957.
4. Hussain-Indian Culture-Asia Publishing House-1962.
5. गुप्ता, सीताराम–पारिवारिक समाजशास्त्र–सीताराम प्रकाशन हाथरस–2002.
6. कुरयान, 49. 13.
7. तबस्सुम जहाँ– मुस्लिम महिलाओं की समाजार्थिक स्थिति :एक समाजशास्त्रीय अध्ययन – राधाकमलमुकर्जी : चिन्तन परम्परा – 2015, पृ0 116–120.
8. शर्मा, राजा बाबू– कार्यशील महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन, अप्रकाशित पी–एच0डी0, थीसिस, एम0जे0पी0 रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
9. सिद्दीकी, जकिया ए–मुस्लिम वीमेन–प्रोबलम्स एण्ड प्रोस्पेक्ट्स, एम0डी0 पब्लिकेशन, दिल्ली, 1993।